



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 351]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 8, 1994/आषाढ 17, 1916

No. 351]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 8, 1994/ASADHA 17, 1916

संयोजित और प्राकृतिक गैस व्यवहार
बहिष्करण

नई दिल्ली 7 जुलाई 1994

सं. सं. 508 (E)—केंद्रीय सरकार, नियोजित (उपबंधन पर नियंत्रण और अधिकतम कीमत निर्धारण) आदेश, 1993 के खंड 7 के प्रावधान (4) के अंतर्गत में संशोधित द.ग.प. करण/संशोधित राज्य क्षेत्रों को सरकारों के साथ और मार्केटिंग प्रतिष्ठान को, समावाहक नियमनकर्ताओं में उनके पूर्ववत् और समस्त आदि के बारे में श्रेष्ठ भूमिका और शक्ति, जो यह आवश्यक होने वाले आदि के लिए बहिष्कृत करती है।

[सं. — 11013/3/93—विप/एन के टी]

देवी दयाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND
NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1994

S.O. 508(E).—In pursuance of sub-clause (c) of clause 7 of the Kerosene Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, the Central Government hereby authorise the Food and Civil Supplies Department of the respective

State Governments Governments of Union Territories to seek such information and details about their antecedents and business, etc. from the Parallel Marketeers, as may deem necessary.

[P-11013/3,93-Dist. Mkt.]
DEVI DAYAL, Jt. Secy.

संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 7 जुलाई 1994

सं. सं. 508 (E)—केंद्रीय सरकार, नियोजित (उपबंधन पर नियंत्रण और अधिकतम कीमत निर्धारण) आदेश, 1993 के खंड 7 के प्रावधान (4) द्वारा उक्त शक्तियों को प्रयोग करने [ए. ए. सी. के अतिरिक्त राज्य सरकारों, द.ग.प. क्षेत्रों और सरकारों के अतिरिक्त के नियमितकृत संयुक्तियों को उनके आन्त-सम्बन्ध संयुक्तियों के अंतर्गत उक्त आदेश के अंतर्गत के संबंध में आवश्यक जानकारी आदि के लिए बहिष्कृत करती है।

संयुक्त सचिव

(1) संयुक्त सचिव के सभी अधिकारों को इन प्रावधानों को अंतर्गत में लाने के लिये।

(2) सभी प्रमुख संयुक्तियों को नियमित को अंतर्गत में लाने के लिये।